

## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत 1.) श्री रोहित उराँव पिता- ललिया उराँव ग्राम: राहम , थाना: टंडवा जिला : चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए,1957 आधिनियम के तहत ग्राम:- राहम; थाना सं. 62 (रैयती भूमि) खाता सं. 374, के अधीन प्लॉट सं. - 2272, 2456, 2546, 2597; खाता सं. 66, के अधीन प्लॉट सं. - 763/2913; कुल रकबा: - 2.00 एकड़ (रैयती भूमि) के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_Ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) सी.सी.एल, राँची एवं क्षेत्रीय महाप्रबंधक (मगध - संघमित्रा), सी.सी.एल, के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर दस दिनों के अंदर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

ज्यौत्सना  
23-03-2024  
उप-प्रबंधक (सामुदायिक विकास)  
भूमि एवं राजस्व विभाग,  
सीसीएल, राँची